भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2444
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

स्कूल भवनों का रखरखाव

2444. **श्री मुरारी लाल मीना:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में छत गिरने की घटना में निरीक्षण और मरम्मत कार्य में देरी हुई है और यदि हाँ, तो स्कूल का ब्यौरा क्या है और मरम्मत कार्य में देरी का क्या कारण है;
(ख) क्या स्कूल भवनों की गुणवत्ता जाँच और रखरखाव के लिए समय पर पर्याप्त बजट आवंटित नहीं किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या दौसा जिले सहित उक्त राज्य में केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों और अन्य स्कूल भवनों का निरीक्षण शीघ्रता से किया गया है और यदि हाँ, तो कितने अन्य स्कूल खतरे में हैं;
(घ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्कूल भवन रखरखाव और आपातकालीन प्रबंधन से संबंधित नीतियों में कोई बदलाव किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या राज्य शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूल भवन की मरम्मत और सुरक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किया है और यदि हाँ, तो हासिल नहीं किए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी स्कूल भवनों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया है। व्यापक निरीक्षण अभियान के तहत सभी निर्माणाधीन/हाल ही में पूरे किए गए स्कूल भवनों का निरीक्षण करने और मरम्मत/निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित जिले के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया था।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत मानदंडों के अनुसार कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न घटकों के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होती है। तत्पश्चात् इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इनका मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान लगाया जाता है। केन्द्रीय भाग की निर्मुक्ति, उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने, पूर्व में जारी की गई निधियों के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्टों, वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों, राज्य अंशदानों और योजना मानदंडों के अनुपालन पर निर्भर करती है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा संहिताओं और आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल भवनों की नियमित रूप से सुरक्षा लेखा परीक्षा/निरीक्षण कर रहा है और दौसा सहित राजस्थान में केन्द्रीय विद्यालय स्कूलों की संरचनात्मक सुरक्षा के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार, दौसा जिले सहित राजस्थान राज्य में उनके किसी भी स्कूल को खतरे में नहीं डाला गया है।

(घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश परामर्शी प्रकृति के हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हें लागू करें और वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्धन/संशोधन शामिल कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 26 जुलाई 2025 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का एक नवीनतम निर्देश जारी किया है। यह दिनांक 27.02.2017 को जारी "स्कूल संरक्षा और सुरक्षा पर दिशानिर्देश" (2021) और स्कूल सुरक्षा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (एनडीएमए, 2016) को संदर्भित करता है और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कोड के अनुसार स्कूलों और बच्चों से संबंधित सुविधाओं का सुरक्षा ऑडिट, आपातकाल से निपटने में कर्मचारियों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण, और परामर्श और सहकर्मी नेटवर्क के माध्यम से मनोसामाजिक सहायता का प्रावधान शामिल है। मंत्रालय ने शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों और संबद्ध अधिकारियों से इन उपायों को अविलंब लागू करने की कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ये निर्देश https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss2607.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं:

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 7 अगस्त 2025 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया है कि वे स्कूल भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें और सुरक्षा ऑडिट के माध्यम से असुरक्षित और जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों की तत्काल पहचान करें, इसके बाद यदि आवश्यक हो तो तोड़फोड़ करें या संरचनात्मक रूप से असुरक्षित संरचनाओं की मरम्मत करें और सुरक्षित प्रमाणित होने तक उपयोग पर रोक लगाएं। अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे जहां आवश्यक हो, अस्थायी स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करें, विध्वंस के कारण बनाई गई जगह का लाभकारी उपयोग करें, नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, और किसी भी पुन: अधिभोग के लिए सुरक्षा/संरचनात्मक फिटनेस अनुपालन प्रमाणन सुनिश्चित करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपरोक्त उपायों को सख्ती से लागू करें और रोकथाम योग्य बुनियादी ढांचे की विफलताओं के कारण किसी भी तरह की चोट और जीवन के नुकसान से बचें। ये निर्देश https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/_ss07008.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

इससे पहले, भारत सरकार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशानिर्देश दिनांक 01.10.2021 को जारी किए गए। ये दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की वेबसाइट https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf पर अपलोड किए गए हैं।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए, 2016) द्वारा स्कूल सुरक्षा नीति पर दिशानिर्देश दिनांक 27.02.2017 को जारी किए गए। ये दिशानिर्देश https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/rte/Guidelines_feb.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

3. एनसीपीसीआर ने विभिन्न दिशानिर्देशों की जांच और संकलन किया और दिनांक 26.02.2018 को "स्कूलों में बाल संरक्षण और सुरक्षा नियमावली" शीर्षक से एक व्यापक नियमावली विकसित की गई है। यह नियमावली नीचे दिए लिंक https://ncpcr.gov.in/uploads/165604923562b54e531fe87_manual-on-safety-and-security-of-children-in-schools-sep-2021-2465-kb.pdf पर उपलब्ध है:

(ङ): राजस्थान राज्य से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 में भारत सरकार ने 40 स्कूल मरम्मत कार्यों को मंजूरी दी, इनमें से 39 कार्य पूरे किए गए हैं।

***